फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राकेश बनाम उमाशंकर (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 129 सन् 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24/9/21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-10-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
1/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मेजा मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार मांडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:12:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 129/21 प्रा.पत्र

1- श्री राकेश S/o श्री सूर्यप्रकाश सारस्वत निवासी- मांडल तह मांडल (भीलवाड़ा)

--प्रार्थी

बनाम

1- श्री उमाशंकर S/o श्री देवीलाल चौधरी निवासी- वार्ड नं. 5 सारस्वत के पीछे प्रतापनगर भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)

--विपक्षीगण

(प्रत्यर्थी/ पुख्ता सीमांकन)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 10.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......प्रतापनगर......पटवार हल्का......भोजा......तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं......764......कुल किता......01......रकबा......0.6323 हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......24.9.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......प्रतापनगर......पटवार हल्का......भोजा......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......764......कुल किता......01......रकबा......0.6323......हेक्टेयर......—......भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......भोजा......को......500/-....../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:12:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि कमिश्नर फीस जमा करानें पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी
डॉ. पूजा सक्सेना
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021